



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 2001/पौष 19, 1922

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 2001/PAUSA 19, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का.आ. 19(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 जनवरी, 2001 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 2001 के प्रारंभिक पैरा की दूसरी पंक्ति में "धारा 29ख" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 29ख की उपधारा (2क)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 7(3)/99-आई. पी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th January, 2001

S.O. 20(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. S.O. 2(E) dated the 1st January, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st January, 2001, in the opening paragraph of English version, in line 2, for the words, brackets, figure and letter "sub-section (2B)" read "sub-section (2A)".

[F. No. 7(3)/99-IP]

M.S. SRINIVASAN, Jt. Secy.